न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 139/2012

उनवान

गजानन्द पुत्र लादू जाति राव (ढोली) निवास ग्राम देराठू, नसीराबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. सोहनी पत्नी गोपी,
2. जगदीश,
3. सुशीला,
4. सम्पत्ति पि. गोपी,
5. सोहन देवी पुत्र देवी,
6. रामी पत्नी रामा,
7. महावीर,
8. कैलाश,
9. जगदीश पि. रामा,
10. शांतिलाल,
11. सुरेश,
12. शिवराज,
13. मीरा,
14. लाला पि0 सोहन,
15. रामी देवी पत्नी पांचू,
16. प्रेम देवी पुत्री पांचू
17. रूकमा देवी पत्नी प्रहलाद,
18. लक्ष्मी ना.बा.,
19. किशना ना.बा. पुत्री प्रहलाद, जरियें संरक्षक माता रूकमा देवी समस्त जाति नायक ग्राम देराठू, नसीराबाद
20. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 19 अनुपस्थित
20 जरिये राज0 पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

//2//

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.5.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू प0म0 देराठू में स्थित निम्न आराजी वादी की खातेदारी की है :–

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकवा
2358	06–18–0	2395	00–06–00	3440	0.05
		2394	00–04–00	3441	0.04
		2391	3–10–00	3438	0.26
		2392	00–02–00	3254	0.11
		2390	02–15–00	3255	0.11
				3256	0.01
				3437	0.26
		2387	00–01–00	3259	0.02

उक्त आराजी के खातेदार चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025–28 के अनुसार गोपी पुत्र देवी नायक थे। उनके द्वारा आराजी मुतनाजा वादी को दिनांक 15.3.1973 को विक्रय कर कब्जा व दखल सौप दिया था। तब से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। दौराने वंर्किग व आधार जमाबंदी बनाते समय राजव अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त मकें दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार विक्रय पत्र की पालना में वादी को घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 व 7 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा से वादी को कोई सबंध नही है। भूमि 70 वर्षो से प्रतिवादीगण के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादीगण बे पूर्वज गोपी पुत्र देवी नायक द्वारा उक्त आराजी का वैचान कभी वादी को नही किया। साथ ही वादी की जाती राव होने व प्रतिवादी की जाती नायक (अनुसूचित जाति) होने से भूमि का विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से बाधित है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय से काबिज है। वादी द्वारा उक्त वाद 40 वर्षो बाद प्रस्तुत करने का कोई कारण अभिलिखित नही किया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने के लिये यह वाद पेश किया है। अतः वाद खारिज कर वादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

शेष प्रतिवादी बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की विधिक क्रयशुदा है ?

   –– वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है [illegible] खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

   –– वादी

3. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किया तथा जानन्द का शपथ पत्र पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद विचारण के दौरन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनके पक्षकार द्वारा भूमि का बैचान कर दिये गया है तथा पक्षकार की ओर से उन्है कोई निर्देश प्राप्त नही है।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की वहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 :–</u>

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 2358 रकबा 6–18–0 सम्वत् 2025–28 की जमाबंदी में गोपी पुत्र देवी जाति नायक के नाम खातेदारी दर्ज है। गोपी पुत्र देवी जाति नायक द्वारा दिनांक 12.6.73 को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र खसरा नम्बर 2358 रकबा 6–18–0 में से 4–10–0 का बैचान वादी को किया है। चौसाला खसरा नम्बर 2358 के वर्किंग खसरा नम्वर 2395, 2394, 2391, 2392, 2390 व 2387 बने है। तथा वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 3440/0.05, 3441/0.04, 3438/0.26, 3254/0.11, 3255/0.42, 3256/0.01, 3437/0.26 व 3259/0.02 में से अनुतोष चाहा है। उक्त आराजी का कुल रकबा 6–18–0 है किन्तु वादी का कब्जा हाल खसरा नम्बर के कौन से खसरा नम्बर पर कितने रकबे पर है यह वादी द्वारा स्पष्ट नही किया है। वादी द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 2358 का पूर्ण रकबा क्रय नही किया गया है अतः हाल खसरा नम्बर में से कौन से खसरा नम्बर पर 4–10–0 पर वादी का कब्जा है यह वादी को स्पष्ट करना था। वाद ने इस बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किये है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद के समर्थन में ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये वादी द्वारा क्रय किये गये रकबे पर कब्जे बाबत प्रमाण प्रस्तुत नही किये है। वादी द्वारा यह सिद्व नही किया गया है कि वह कौन–कौन से हाल खसरा नम्बर पर काबिज है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> :– वादी द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 2358 का पूर्ण रकबा क्रय नही किया गया है अतः हाल खसरा नम्बर में से कौन से खसरा नम्बर पर 4–10–0 पर वादी का कब्जा है यह वादी को स्पष्ट करना था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 3440, 3441, 3255, 3256 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नही होकर अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में है। उक्त व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार नही है। हाल खसरा नम्बर 3254 बैंक के नाम रहन दर्ज है। सबंधित बैंक को भी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। हाल खसरा नम्बर 3259 रकबा 0.02 न्यायालय आदेश से सिवायचक दर्ज हुआ है। वादी द्वारा उक्त न्यायालय आदेश बाबत अपने वाद में कथन नही किया है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद के समर्थन में ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। समस्त हितबद्व व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाया है। वादी द्वारा क्रय किये गये रकबे पर कब्जे बाबत प्रमाण प्रस्तुत नही किये है। जिस कारण वादी हाल खसरा नम्बर पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तनकी संख्या 2 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3440/0.05, 3441/0.04, 3438/0.26, 3254/0.11, 3255/0.42, 3256/0.01, 3437/0.26 व 3259/0.02 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें[illegible] आशय की पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को सरे इजलास सु[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गजानन्द बनाम सोहनी

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 139/2012
पेश करने की दिनांक – 18.05.12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3440/0.05, 3441/0.04, 3438/0.26, 3254/0.11, 3255/0.42, 3256/0.01, 3437/0.26 व 3259/0.02 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २५ माह० ५ सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद